प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छतीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,</u>

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक याचिका (विविध) क्रमांक 550/2009

<u>याचिकाकर्तागण</u> विजय किशोर गोस्वामी एवं अन्य

<u>बनाम</u>

<u>प्रतिवादीगण</u> छतीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश की उद्घोषणा हेतु दिनांक 28.08.2010 को सूचीबद्ध करें।</u>

हस्ताक्षरित/-

(प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

दिनांक : 27.08.2010

<u>छतीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक याचिका (विविध) क्रमांक 550/2009

<u>याचिकाकर्तागण</u> विजय किशोर गोस्वामी एवं अन्य

<u>बनाम</u>

<u>प्रतिवादीगण</u> छतीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्तागण की ओर से श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री शशि भूषण, अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से श्री वैभव गोवर्धन, पैनल अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 3 की ओर से श्री विमलेश बाजपेयी, अधिवक्ता।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका</u>

<u>आदेश</u>

(28.08.2010)

1. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह याचिका प्रतिवादी क्रमांक 3 – विवेकानंद सिंह द्वारा

दिनांक 3.10.2009 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द करने हेतु प्रस्तुत की गई है, जो अपराध क्रमांक 320/2009 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120-ख के तहत, थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) में पंजीबद्ध है।

2. पक्षकारों के परस्पर तर्कों पर विचार करने से पूर्व, इस याचिका के निराकरण हेतु मामले के तथ्यों का विवरण आवश्यक है। राम सरन देव वृंदावन (उत्तर प्रदेश), अमरकंटक (मध्य प्रदेश) तथा तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के विभिन्न ग्रामों में स्थित अनेक मंदिरों के महंत थे। उन्होंने दिनांक 15.01.2006 को याचिकाकर्ता क्रमांक 2 महंत श्री शेखर शरण देव के पक्ष में एक वसीयत (प्रदर्श पी-2) निष्पादित की, जिनके पिता याचिकाकर्ता क्रमांक 1 विजय किशोर गोस्वामी हैं। कहा गया है कि उक्त वसीयत के निष्पादन के तीन दिनों के भीतर ही महंत राम सरन देव का वृंदावन (उ.प्र.) स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि उक्त वसीयत तीन राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्थित विभिन्न संपत्तियों से संबंधित थी, जिनमें लगभग 700 एकड़ भूमि तथा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य संपत्तियाँ सम्मिलित हैं। यह भी निर्विवाद है कि लगभग दिनांक 27.06.2009 को बृज बिहारी नामक व्यक्ति द्वारा थाना वृंदावन, मथुरा (उ.प्र.) में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-5) अपराध क्रमांक 593/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के रूप में दर्ज कराई गई, जिसकी अंग्रेज़ी अनुवादित प्रति याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो निम्नानुसार है:

"**<u>प्रपत्र क्रमांक 1</u>**

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन

जिला: मथुरा थाना: वृंदावन वर्ष: 2009 प्र.सू.प्र.क्रमांक 208/09 दिनांक: 27.6.2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1.	संहिता: भारतीय दंड संहिता	धारा: 420, 467, 468, 471, 120ख भा.दं.सं.
2.	संहिता:	धारा:
3.	संहिता:	धारा:
4.	घटना की तिथि:	18.01.2006
5.	सूचना पुलिस थाना में प्राप्त:	27.06.09 को 15:30 बजे।
6.	रोजनामचा संख्या:	प्रविष्टि क्रमांक 27 दिनांक 27.06.09 को 15:30 बजे
7.	सूचना का प्रकार:	टंकित
8.	घटना स्थल:	सेवा कुंज
9.	पुलिस थाना से दूरी/दिशा:	1 कि.मी. पश्चिम

10.	पता:	
11.	यदि पुलिस थाने के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर है	थाना का नाम_____जनपद_____
12.	नाम: ब्रिजबिहारी, पिता परसादी लाल, निवासी छिप्पी गली, वृंदावन, मथुरा	
13.	जन्मतिथि/वर्ष_____राष्ट्रीयता_____	
14.	पासपोर्ट क्र._____जारी करने कि तिथि_____स्थान_____	
15.	व्यवसाय_____ पद_____विभाग_____	
16.	अभियुक्तों का विवरण(ज्ञात/अज्ञात):	

क्र.	नाम	पिता का नाम	ग्राम/ स्थल	थाना	जनपद
1.	विजय किशोर गोस्वामी	स्व.किशोर गोस्वामी	सेवा कुंज	वृंदावन	मथुरा
2.	श्रीमती शकुन	पति विजय किशोर	--//--	--//- -	--//--
3.	शेखर	पिता विजय किशोर	--//--	--//- -	--//--
4.	मीना	पिता विजय किशोर	--//--	--//-	--//--

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

					-	

17.	प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब का कारण:	
18.	अपहृत/संबंधित संपत्ति का विवरण:	
19.	अपहृत/संबंधित संपत्ति का कुल मूल्य:	
20.	मर्ग सूचना क्रमांक (यदि कोई हो):	
21.	व्यक्ति के शरीर पर उपस्थित चिन्हों का विवरण:	
22.	प्रश्न:	
23.	उत्तर:	
24.	की गई कार्यवाही: उपरोक्त सूचना के आधार पर उल्लिखित धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया।	
25.	पद:	वरिष्ठ उप-निरीक्षक श्री विजय सिंह
26.	विवेचना:	क्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार विवेचना प्रारंभ की गई/संबंधित थाना को स्थानांतरित।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सूचनाकर्ता/शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(अपठनीय)

थाना प्रभारी के हस्ताक्षर

नाम: एस.जी. पाण्डेय

पद: उप-निरीक्षक

व्यतिगत नं. (यदि कोई हो)

सेवा में,

थाना प्रभारी निरीक्षक

थाना वृंदावन, वृंदावन (मथुरा)

विषय: कूटरचित वसीयत के आधार पर लगभग 1000 एकड़ भूमि, आवासीय कॉलोनी एवं राधे बिहारी मठ मंदिर की धर्मशाला पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं बृज बिहारी, पुत्र स्वर्गीय परसादीलाल, निवासी छिप्पी गली, पुलिस थाना वृन्दावन, जिला मथुरा (उ.प्र.) का निवासी हूँ। मैं महंत स्वः श्री राम शरण देव, राधा-बिहारी मूर्ति मंदिर, ग्राम बाबा-मोहतरा, पुलिस थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) का अनुयायी हूँ, जो कि वृंदावन आते रहते थे। महंत स्वः श्री राम शरण देव जी वृद्धावस्था के कारण बीमार रहते थे। उनकी नई दिल्ली स्थित एस्कॉर्ट्स अस्पताल में माह अक्टूबर 2005 में बायीपास सर्जरी की गयी थी सर्जरी (शल्य चिकित्सा) के उपरांत, विजय किशोर गोस्वामी, पुत्र स्वर्गीय रूप

किशोर गोस्वामी, निवासी सीता कुंज, पुलिस थाना वृन्दावन, जिला मथुरा द्वारा उन्हें वृन्दावन लाया गया। वृन्दावन, जिला मथुरा में महंत जी को उनके घर में ही रोक लिया गया। एक दिन अचानक महंत जी को वृन्दावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में भर्ती कराया गया। जब मैं दिनांक 01.12.2006 को उनसे मिलने उक्त अस्पताल गया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि महंत जी का देहांत हो चुका है। महंत जी की मृत्यु के पश्चात मृत्यु संस्कार हो रहे थे और हम सभी लोग उसमें भाग लेने जाते थे उस दौरान तीन चार दिन पश्चात शाम के समय किशोर गोस्वामी ने अपनी पत्नी शकुंतला, पुत्र शेखर एवं पुत्री मीतू के साथ मिलकर मुझसे स्वर्गीय महंत जी द्वारा कथित रूप से लिखी गई वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, मैंने उसपर यह विचार करते हुए हस्ताक्षर कर दिए कि यह महंत जी की अंतिम इच्छा है। तत्पश्चात, लगभग 6-7 माह बाद विजय किशोर गोस्वामी एवं उसके परिवार के सदस्य मुझे ग्राम बाबा-मोहतरा, थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) इस बहाने से ले गए कि वहाँ महंत जी के कुछ धार्मिक कार्य संपादित किए जाने है। इसके बाद विजय कुमार गोस्वामी मुझे बेमेतरा बाजार ले गया और वहाँ से बेमेतरा तहसील कार्यालय ले गया, जहाँ एक लिपिक बैठा हुआ था और जिसने मुझसे एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए। महंत श्री राम बलि दास मुझे यह कहते हुए डांटने लगे कि ब्रिज बिहारी, तुमने वृंदावन में 1000 एकड़ जमीन, रिहायशी कॉलोनी और संपत्ति जिसकी कीमत करोड़ों में है, एक धोखेबाज आदमी के नाम स्थानांतरित करवा दी, जो ऐसी हरकतें करने का आदी है। उसने मुझे सभी संबंधित दस्तावेज दिखाए, जिनकी प्रतिलिपियाँ इस आवेदन के साथ संलग्न हैं। इन सभी घटनाओं से मैं अत्यंत आश्चर्यचकित एवं भ्रमित हो गया तथा मुझे प्रतीत हुआ कि मुझसे गंभीर भूल हो गई है। अतः प्रार्थना है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक कठोर संहिताक कार्यवाही की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह निर्विवादित तथ्य है कि विवेचना के उपरांत दिनांक 03.10.2009 को प्रतिवादी क्रमांक-3 विवेकानंद सिंह द्वारा पुलिस थाना बेमेतरा (छत्तीसगढ़) में अपराध क्रमांक 320/09 द्वारा एक अन्य प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई, जिसके अंग्रेज़ी अनुवाद की प्रति याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

"प्रपत्र क्रमांक 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन (दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 154 के अंतर्गत)

1. जिला- दुर्ग, थाना- बेमेतरा, वर्ष- 2009, प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक- 320/09, दिनांक- 3.10.2009

1.	1. संहिता: भारतीय दंड संहिता	धारा: 420, 467, 468, 471, 120ख भा.दं.सं.
	2. संहिता:	धारा:
	3. संहिता:	धारा:
	4. अन्य अधिनियम/धारायें	
2.	(क) रोजनामचा सान्हा क्रमांक:	
	(ख) घटना का दिनांक:	18.01.2009. के पश्चात
	(ग) पुलिस थाना में सूचना प्राप्ति की तिथि एवं समय:	दिनांक 03.10.2009 समय 20:30 बजे रो. सा. क्रमांक 165
3.	सूचना का प्रकार:	लिखित/मौखिक
4.	घटना स्थल:	पुलिस थाना से दिशा एवं दूरी: 6 कि.मी. पूर्व में घटना स्थल: ग्राम- बाबा मोहतरा, पुलिस थाना- बेमेतरा यदि घटनास्थल किसी अन्य पुलिस थाना क्षेत्राधिकार में आता हो, तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

		संबंधित पुलिस थाना/जिला:-
5.	शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले का नाम:	नाम- विवेकानंद सिंह निवासी- वृंदावन पिता/पति/अभिभावक- स्व. श्री आर.पी. पाण्डेय, उम्र- 58 वर्ष, राष्ट्रीयता- भारतीय, पासपोर्ट क्रमांक_____ पासपोर्ट जारी किए जाने कि तिथि_____ पासपोर्ट जारी करने का स्थान_____ व्यवसाय- सेवा (उप-निरीक्षक), पता- पुलिस थाना बेमेतरा।
6.	अभियुक्त का विवरण(ज्ञात/अज्ञात/संदिग्ध):	विजय किशोर गोस्वामी, शेखर शरण देव पिता- विजय किशोर गोस्वामी, निवासी- बाबा मोहतरा
7.	प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने में विलंब का कारण:	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8.	अपहृत/संबंधित संपत्ति का विवरण:	
9.	अपहृत/संबंधित संपत्ति का कुल मूल्य:	
10.	मर्ग सूचना क्रमांक (यदि कोई हो):	
11.	प्रथम सूचना का विवरण: मैं, पुलिस थाना बेमेतरा में पदस्थ उप निरीक्षक हूँ। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा एस.डी.ओ. (पुलिस), बेमेतरा को प्रेषित पत्र क्रमांक **Pu.A.**/दुर्ग/2549/10 दिनांक 30.09.2009 के अनुपालन में, उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को एस.डी.ओ. (पुलिस), बेमेतरा द्वारा अपराध पंजीबद्ध करने हेतु भेजा गया। आवेदक विवेकानंद सिंह, निवासी वृन्दावन के आवेदन के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामसरन देव, ग्राम बाबा- मोहतरा, छेतापार, धर्रा, कुसमी एवं भोइनाभाठा में स्थित 774 एकड़ भूमि के स्वामी थे। अनावेदक विजय किशोर गोस्वामी ने षड्यंत्रपूर्वक उक्त भूमि को अपने नाबालिग पुत्र शेखर शरण देव के नाम पर दिनांक 15.01.2006 की कथित कूटरचित वसीयत के माध्यम से स्थानांतरित करा लिया। तत्पश्चात रामसरन देव की मृत्यु दिनांक 18.01.2003 के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। जैसा कि आरोपित अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया, अतः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना हेतु प्रकरण लिया गया।	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला दुर्ग (छ.ग.)

विषय: विजय गोस्वामी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में, जिन्होंने कपटपूर्वक ग्राम बाबा- मोहतरा, छेतापार, धर्रा, कुसमी एवं भोइनाभाठा में स्थित महंत रामसरन देव की भूमि को दिनांक 15.01.2006 की अपंजीकृत वसीयत के माध्यम से अपने नाबालिग पुत्र शेखर शरण देव के नाम स्थानांतरित कराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

महोदय,

महंत स्वः श्री राम शरण देव, राधा बिहारी मंदिर, पवनपुत्र हनुमान मंदिर, राधा गौशाला मंदिर (ग्राम बारा मोहटा, छेतापारा, धर्रा, भोइनाभाठा) एवं ग्राम बारा मोहटा, छेतापारा स्थित राधा बिहारी मंदिर के महंत तथा अन्य कृषि भूमि के महंत तथा देखरेखकर्ता थे। उक्त संपत्तियाँ विजय गोस्वामी द्वारा दिनांक 15.01.2006 की अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपने नाबालिग पुत्र के नाम कथित रूप से वसीयत की गईं। महंत राम शरण देव की मृत्यु 18.01.2006 को हो गई। इस संबंध में दिनांक 07.06.2007 की हस्तलेखन

	विशेषज्ञ द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह अभिमत व्यक्त किया गया वास्तविक हस्ताक्षर वसीयत में मौजूद हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता है। 15/01/2006 की वसीयत में भोलेनाथ अग्रवाल जी के पुत्र रामजी लाल अग्रवाल, वृंदावन, जिला मथुरा का नाम गवाह क्रमांक- 1 के तौर पर दिखाया है। गवाह क्रमांक-1 रामजीलाल अग्रवाल, निवासी नंदनवाड़ा, जिला मथुरा, द्वारा शपथपूर्वक यह दिया गया कि वसीयत में दर्शाए गए उनके हस्ताक्षर कूटरचित हैं। इस संबंध में उनके शपथपत्र की प्रति प्रतिवेदन में संलग्न है। उक्त कूटरचित वसीयत के आधार पर विजय गोस्वामी ने ग्राम बाबा-मोहतरा, छेतापारा, धर्रा, कुसमी एवं भोइनाभाठा, पिपरभट्ठा, खैरभित्ति में स्थित 774 एकड़ भूमि को अपने नाबालिग पुत्र शेखर के नाम कपटपूर्वक स्थानांतरित कराया गया, जो हस्तलेखन विशेषज्ञ की प्रतिवेदन के अनुसार कूटरचित वसीयत है। अतः संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वसीयत दिनांक 15.01.2006 की सत्यापित प्रति तथा हस्तलेखन विशेषज्ञ की प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2007 को इस प्रतिवेदन का अभिन्न अंग माना जाएगा। उपरोक्त तथ्य उस समय प्रकाश में आए जब मृतक रामसरन देव के संहिताक उत्तराधिकारियों को न्यायालयीन अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन के साथ प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त वसीयत को न्यायालय में दिनांक 13.03.2006 को प्रस्तुत किया गया। चूँकि न्यायालय से वसीयत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	की प्रति, हस्तलेखन विशेषज्ञ की प्रतिवेदन तथा रामजीलाल अग्रवाल का शपथपत्र प्राप्त करने में समय लगा, जिसके कारण प्रतिवेदन दर्ज कराने में विलंब हुआ। संलग्न दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं: 1. आवेदन दिनांक 18.09.2009, 2. दस्तावेज़ – विवेकानंद सिंह, पुत्र युधिष्ठिर सिंह, निवासी ग्राम राजपुर, तहसील सदर, पुलिस थाना वृन्दावन, जिला मथुरा (उ.प्र.), 3. वसीयत दिनांक 15.01.2006 की प्रति, 4. हस्तलेखन विशेषज्ञ की प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2007, 5. रामजीलाल अग्रवाल का शपथपत्र।	
12	प्रारंभ की गई कार्यवाही:	
	शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान (अपठनीय) थाना प्रभारी के हस्ताक्षर नाम: एस. जी. पांडे पद: उप निरीक्षक क्रमांक (यदि कोई हो): प्रतिलिपि:	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	न्यायालय माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा को सूचनार्थ।

यह द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जिसे इस याचिका में रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है, वर्तमान में विवेचनाधीन है तथा अब तक पुलिस प्राधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि उसी विषय-वस्तु के संबंध में पहले ही बृज बिहारी द्वारा पुलिस थाना वृन्दावन, मथुरा (उ.प्र.) में अपराध क्रमांक 593/2009 अंतर्गत धाराएँ 420, 467, 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई जा चुकी है। तत्पश्चात विस्तृत विवेचना के उपरांत, साक्ष्य के अभाव के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा प्रतिवेदन) प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा के समक्ष विचाराधीन है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के अनुसार, एक ही अपराध के लिए दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं की जा सकतीं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर.2001 एस.सी.डब्लू.2571 में प्रकाशित विधि सिद्धांत के आलोक में, बेमेतरा में दर्ज द्वितीय प्रथम सूचना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

4. इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि एक ही घटना के संबंध में दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं की जा सकतीं। तथापि, वर्तमान वाद के तथ्य अन्य उन आपराधिक मामलों से पूर्णतः भिन्न हैं, जिनमें हत्या अथवा मारपीट जैसे अपराधों के संबंध में दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होती हैं। वर्तमान प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विभिन्न मंदिरों की संपत्तियाँ तीन राज्यों में स्थित हैं तथा स्वर्गीय राम शरण देव द्वारा प्रदर्श पी-2 के रूप में याचिकाकर्ता क्रमांक-2 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी। अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि वृन्दावन (उ.प्र.) में बृज बिहारी द्वारा दर्ज की गई प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पुलिस थाना बेमेतरा में प्रतिवादी क्रमांक-3 विवेकानंद सिंह द्वारा दर्ज कराई गई द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन से तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः भिन्न है। प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन के दर्जकर्ता ने यह कथन किया है कि प्रश्नगत वसीयत पर उसके हस्ताक्षर एक साक्षी के रूप में राम शरण देव की मृत्यु के पश्चात प्राप्त किए गए थे। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि कथित वसीयत पहले से ही तैयार थी, जिसमें वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अंकित थे तथा श्री बृज बिहारी के हस्ताक्षर याचिकाकर्ता क्रमांक-1 एवं उसके परिवारजनों द्वारा प्राप्त किए गए थे। यह भी परिलक्षित होता है कि इसके पश्चात याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक-1 ने उक्त साक्षी से कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए तथा इसके उपरांत लगभग 1000 एकड़ कृषि एवं आवासीय भूमि, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये में है, याचिकाकर्ताओं के नाम स्थानांतरित कर दी गई, जिसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन के दर्जकर्ता ने "भूमि माफिया" की संज्ञा दी है। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि भूमि स्थानांतरित के संबंध में कुछ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे तथा उन दस्तावेजों को प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ संलग्न करते हुए बृज बिहारी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर विचार किया जाए, तो वह स्पष्ट रूप से प्रदर्श पी-2 (वसीयत) पर प्रश्नचिह्न लगाती है तथा उसके संबंध में जांच की मांग करती है। द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उसके दर्जकर्ता अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा स्पष्ट रूप से यह इंगित किया गया है कि किस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 ने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न मंदिरों की संपत्तियों को कूटरचित वसीयत के आधार पर अवैध रूप से हड़प लिया। याचिकाकर्ता क्रमांक-2 के संबंध में द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उसके दर्जकर्ता ने प्रथम दृष्टया वसीयत तथा अन्य दस्तावेजों पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों

को प्रदर्शित किया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि रामजी लाल के हस्ताक्षर एक साक्षी के रूप में दर्शाए गए हैं, जबकि उन्होंने शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा उनके हस्ताक्षर कूटरचित हैं। द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ उसके दर्जकर्ता द्वारा संबंधित सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें हस्तलेखन विशेषज्ञ डॉ. सुनंदा डेंगें की प्रतिवेदन भी सम्मिलित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कथित वसीयत पर अंकित निष्पादक के हस्ताक्षर अन्य दस्तावेजों पर अंकित हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक एवं समान नहीं कही जा सकतीं। प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन में, उसके दर्जकर्ता के अनुसार, उसके साथ धोखाधड़ी की गई तथा राम शरण देव की मृत्यु के पश्चात उससे वसीयत पर एक साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कराए गए थे, जिसके कारण उस लेन-देन पर प्रश्न उठाया गया था; जबकि द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन विशेष रूप से वसीयतकर्ता तथा अन्य साक्षी रामजी लाल के हस्ताक्षरों की सत्यता से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि दोनों प्रकरणों में साक्ष्य प्रस्तुत करने की संहिता तथा विवेचना की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, तथापि अंततः आरोपित अपराध वसीयत के

निष्पादन से संबंधित एक ही घटना से उत्पन्न हुआ है। अतः उसी घटना के संबंध में दो पृथक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं की जा सकतीं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि एक ही कारण-कार्यवाही के लिए दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया जाना संहितासम्मत नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब पुलिस थाना वृन्दावन द्वारा संपूर्ण विवेचना कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, तब प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 के लिए उपलब्ध एकमात्र वैधानिक विकल्प यह था कि वे द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन तथा उससे संबंधित दस्तावेजों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वृन्दावन के समक्ष प्रस्तुत करते, ताकि उक्त न्यायालय द्वारा उन्हें वृन्दावन पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के साथ विचारार्थ लिया जा सके। अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि दोनों प्रथम सूचना प्रतिवेदन की विषयवस्तु मूलतः समान है तथा द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन का दर्जकर्ता स्वयं उत्तर प्रदेश का निवासी है, जैसा कि द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन में ही उल्लेखित है। अतः छत्तीसगढ़ पुलिस को इस प्रकरण की विवेचना करने का कोई औचित्य नहीं था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन के दर्जकर्ता बृज बिहारी को वसीयत (प्रदर्श पी-2) के एक साक्षी के रूप में तहसीलदार, बेमेतरा के समक्ष परीक्षण किया गया था तथा उनका कथन प्रदर्श पी-3 के रूप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलेख पर उपलब्ध है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचारोपरांत तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश (प्रदर्श पी-4) पारित किया जा चुका है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि स्वर्गीय राम शरण देव की वसीयत की वैधता पर छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस द्वारा संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों पर भरोसा किया है—

1. बुबाना नायक बनाम उड़ीसा राज्य, 2526 आपराधिक कानून पत्रिका 2005.

2. निरंजन शर्मा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 301 आपराधिक कानून पत्रिका 2006.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. राजू शाह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2006 (44) ए.आई.सी. 773.

6. दूसरी ओर, प्रतिवादीगण/राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोनों प्रथम सूचना प्रतिवेदन मूलतः एवं सारतः भिन्न हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन के दर्जकर्ता, अर्थात् बृज बिहारी, द्वारा एक भिन्न आधार पर जांच की मांग की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रश्नगत वसीयत पर उनके हस्ताक्षर कपट एवं छलपूर्वक प्राप्त किए गए थे। इसके विपरीत, द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन में वसीयत की वैधता पर ही प्रश्नचिह्न लगाया गया है

और यह आरोप लगाया गया है कि उक्त वसीयत एक गढ़ा हुआ एवं कूटरचित दस्तावेज है, क्योंकि कथित साक्षी रामजी लाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राम शरण देव के हस्ताक्षरों के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ डॉ. सुनंदा देंगें द्वारा दिनांक 07.06.2007 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि राम शरण देव के कथित हस्ताक्षर कूटरचित पाए गए। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि रामजी लाल द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उन्होंने उक्त वसीयत पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर साक्षी के रूप में नहीं किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी रामजी लाल ने शपथपत्र के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत वसीयत पर दर्शाए गए उनके हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कूट-रचित किए गए हैं तथा उन्होंने ऐसी किसी वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि वसीयत के निष्पादक, अर्थात् राम शरण देव, के हस्ताक्षरों के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ डॉ. सुनंदा देंगें द्वारा दिनांक 07.06.2007 को प्रतिवेदन प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके आधार

पर द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा यह तथ्य प्रकाश में आया कि महंत राम शरण देव के हस्ताक्षर वसीयत पर कूटरचित पाए गए। इस संबंध में प्रश्नित दस्तावेजों के राज्य परीक्षक श्री एन. के. सिक्केवाल की दिनांक 16.09.2009 की अभिमत प्रतिवेदन भी अभिलेख पर उपलब्ध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन अत्यंत स्पष्ट एवं श्रेणीबद्ध रूप से यह इंगित करती है कि महंत राम शरण देव की वसीयत कूटरचित है तथा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के दर्जकर्ता द्वारा उससे संबंधित सभी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन, जो बृज बिहारी द्वारा दर्ज कराई गई थी, केवल उस लेन-देन से संबंधित थी जो कथित कूटरचित वसीयत के आधार पर किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि द्वितीय प्रथम सूचना प्रतिवेदन विलंब से दर्ज की गई है तथा उसका कथन प्रथम प्रथम सूचना प्रतिवेदन से कुछ सीमा तक भिन्न है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवादित अधिकांश भूमि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यदि पुलिस वसीयत की वैधता के संबंध में जांच कर सत्य को उजागर करना चाहती है, तो याचिकाकर्ताओं द्वारा उसमें कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित संपत्तियों के संबंध में कथित कूटरचित वसीयत के आधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर विस्तृत जांच स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य में की जाती है, तो इससे याचिकाकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। यह भी तर्क दिया गया है कि पुलिस थाना वृन्दावन (उत्तर प्रदेश) को प्रारंभिक स्तर पर समस्त सुसंगत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसी कारण वहाँ की पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया; जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त सुसंगत दस्तावेज शिकायतकर्ता/प्रतिवादी क्रमांक-3 विवेकानंद सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। अतः आगे की विवेचना को रद्द नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि इस प्रकार की विवेचना को रद्द कर दिया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के कथित अवैध कृत्यों पर कभी अंकुश नहीं लग पाएगा तथा सत्य प्रकाश में नहीं आ सकेगा। प्रतिवादीगण की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. कड़ी चौधरी बनाम एम.एस.टी. सीता देवी एवं अन्य, (2002) 1 एस.सी.सी. 714

2. राजस्थान बैंक बनाम केशव बंगुर एवं अन्य, (2007) 13 एस.सी.सी. 145

3. निर्मल सिंह कहलों बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, 2009 (1) एस.सी.सी.

441

4. रामलाल नारंग बनाम दिल्ली राज्य प्रसाशन, 1979 (2) एस.सी.सी. 322

8. यह न्यायालय न तो प्रदर्श पी-2 में संलग्न वसीयत की संहिताकता अथवा वैधता पर कोई निर्णय दे रहा है और न ही प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा प्रस्तुत हस्तलेखन विशेषज्ञ डॉ. सुनंदा डेंगें की प्रतिवेदन अथवा प्रश्नित दस्तावेजों के राज्य परीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित समझता है। तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि पुलिस प्राधिकारियों द्वारा निष्पक्ष एवं सटीक विवेचना किया जाना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी क्रमांक-3 विवेकानंद सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-1) को इस स्तर पर रद्द नहीं किया जा सकता। प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय टी. टी. एंटनी बनाम केरल राज्य एवं अन्य (पूर्वोक्त) तथा याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति एवं उपर्युक्त उद्धृत मामलों की तथ्यात्मक स्थिति पूर्णतः भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **करी चौधरी बनाम श्रीमती सीता देवी एवं अन्य** के प्रकरण में, जो

(2002) 1 एस.सी.सी. 714 में प्रकाशित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप से निर्णय दिया गया है—

10. "उपरोक्त तथ्यात्मक परिस्थिति का परिणाम यह है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 135 में शिकायतकर्ता श्रीमती सीता देवी को, पुलिस द्वारा उक्त शिकायत को असत्य घोषित किए जाने के निष्कर्ष के बावजूद, अपनी शिकायत पर आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। किंतु न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह मार्ग पुलिस को सुगनिया देवी की हत्या के अपराध की जांच जारी रखने से तथा उसकी हत्या के वास्तविक अपराधी के संबंध में अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने से वंचित नहीं कर सकता। पुलिस ने अपनी जांच केवल तभी पूर्ण की, जब 31.03.2000 को प्रथम प्रतिवादी श्रीमती सीता देवी एवं अन्य के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण का संहिता अनुसार न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए सत्र न्यायालय द्वारा विचारण अपरिहार्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 135 के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही अंतिम प्रतिवेदन के साथ समाप्त हो गई, तब पुलिस को

दूसरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने तथा उसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 208 के रूप में क्रमांकित करने का कोई अधिकार नहीं था। निस्संदेह संहिताक स्थिति यह है कि एक ही मामले में, उसी अभियुक्त के विरुद्ध दो प्रथम सूचना प्रतिवेदन नहीं हो सकतीं। किंतु जब एक ही घटना के संबंध में परस्पर विरोधी संस्करण हों, तब सामान्यतः वे दो भिन्न प्रथम सूचना प्रतिवेदन का रूप ले लेते हैं तथा दोनों पर एक ही अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के समक्ष प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 208/1998 के रूप में प्रस्तुत प्रतिवेदन को, जांच के दौरान पुलिस द्वारा की गई नवीन खोज के संबंध में न्यायालय को दी गई सूचना के रूप में माना जाना आवश्यक है, जिससे यह प्रकाश में आया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 135 में नामित न किए गए व्यक्ति ही वास्तविक अपराधी हैं। केवल इस आधार पर कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 135 में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था, उक्त कार्यवाही को निरस्त करना अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण होगा। प्रत्येक विवेचना का परम उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि आरोपित अपराध घटित हुआ है या नहीं, और यदि हुआ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है तो उसे किसने किया है।

12. इसके अतिरिक्त, अन्वेषण एजेंसी धारा 173 की उपधारा (2) के अंतर्गत पूर्व अवसर पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद, किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच करने से वंचित नहीं होती। यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (8) से स्पष्ट होती है।"

10.	उपरोक्त तथ्यात्मक एवं संहिताक विवेचना के आलोक में, यह न्यायालय इस सुविचारित मत पर पहुँचा है कि प्रत्येक विवेचना का अंतिम उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि आरोपित अपराध घटित हुआ है अथवा नहीं, और यदि घटित हुआ है, तो उसे किस व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा कारित किया गया है। जब विवेचना पहले से प्रगति पर है तथा एक अन्य हस्तलेखन विशेषज्ञ, अर्थात् डॉ. सुनंदा देंगें, की प्रतिवेदन से भी यह संकेत मिलता है कि वसीयत के निष्पादक के हस्ताक्षर अन्य दस्तावेजों पर उपलब्ध हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते, तो इस न्यायालय की यह राय है कि विवेचना एजेंसी को आगे की कार्यवाही से रोकना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, विस्तृत जांच के उपरांत पुलिस थाना वृन्दावन, मथुरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन (खात्मा प्रतिवेदन) साक्ष्य के अभाव के आधार पर प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	बावजूद, यदि याचिकाकर्ता इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं कि याचिकाकर्ता क्रमांक-2 के पक्ष में स्वर्गीय राम शरण देव द्वारा वसीयत संहिता के अनुरूप निष्पादित की गई थी, तो उन्हें विवेचना में सहभागिता करने से भयभीत नहीं होना चाहिए, जिससे सत्य उजागर हो सके—विशेषतः तब, जब इस प्रकरण में हजारों एकड़ भूमि सम्मिलित है।
11.	अतः, दिनांक 03.10.2009 को प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा अपराध क्रमांक 320/2009 के संबंध में पुलिस थाना बेमेतरा, जिला दुर्ग में भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 420, 467, 468, 471 एवं 120-ख के अंतर्गत दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन को रद्द किए जाने हेतु प्रस्तुत याचिका निराधार एवं तथ्यहीन पाई जाती है तथा खारिज किए जाने योग्य है। अतः उक्त याचिका खारिज की जाती है। हस्ताक्षरित/- प्रीतिंकर दिवाकर न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

TRANSLATED BY : <u>किरण साहू (अधिवक्ता)</u>